

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)
मिशाल संख्या:- 11 / 2005

निर्णय दिनांक :- 25.02.2021

उनवानी दावा :

कैलाश बाई पुत्री स्व. हरनाथ पत्नी लादूलाल मीणा नि0 देवीखेड़ा हाल नि. ककोड़िया तह0 देवली
- वादीया-

बनाम

1. सौराम पुत्र चन्दा मीणा नि0 देवीखेड़ा तह0 देवली मृतक
- 1/1 मोती लाल पुत्र सौराम जाति मीणा नि0 देवीखेड़ा
- 1/2 मौसमी पुत्री सौराम जाति मीणा नि0 देवीखेड़ा
- 1/3 राजेश पुत्र सौराम जाति मीणा नि0 देवीखेड़ा
- 1/4 फोरया पुत्र सौराम जाति मीणा नि0 देवीखेड़ा
- 1/5 पषमा पुत्री सौराम जाति मीणा नि0 देवीखेड़ा
2. हीरा पत्नी अंबालाल जाति मीणा नि0 देवीखेड़ा तह0 देवली
3. सरजू पत्नी घीसालाल पुत्री चन्दा मीणा नि0 चान्दली तह0 देवली
4. तहसीलदार देवली

- प्रतिवादीगण -

उपस्थिति :-

श्री राजेश कुमार जैन

अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध
प्रतिवादी संख्या 1/1ता 6

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 25.03.2011 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता वादी की प्रार्थना रही कि कुर्रजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें।

अधिवक्ता वादी की बहस में कुर्रजात रिपोर्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी संवत जमाबंदी सम्वत् 2074-77 वाके ग्राम देईखेड़ा पटवार हल्का राजमहल भू.अभि.नि. क्षेत्र राजमहल के खाता संख्या 46 में दर्ज कुल किता 8 कुल रकबा 2.33 है0, दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/5 तथा 3 ता 4 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के हिस्से की भूमि में उपयोग-उपभोग में


(Handwritten signature)

मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे। तहसीलदार देवली की कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टयर में	लगान
1	कैलाशी पिता	553	0.05	0.40
	हरनाथ मीणा राहिन बी.आर.के.जी.बी शाखा राजमहल सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल बॉल पेन से दर्शित	851	0.47	3.76
2	योग	किता-2	0.52	04.16
	राजेश कुमार पुत्र	851	0.35	2.80
	पुष्पा पत्नी शोराम मीणा सा. देह	206	0.29	6.38
	खातेदार फूला देवी	236	0.10	2.20
	पत्नी चरतलाल मीणा सा. देह	238	0.21	4.62
	खातेदार	443	0.21	1.68
	नक्शा ट्रेस में	506	0.08	0.04
	सफेद रंग (खाली स्थान से दर्शित) से	855	0.35	2.88
	दर्शित	951	0.27	2.16
	योग	553	0.21	1.68
	योग	किता-9	2.07	24.44

संलग्न तहसीलदार देवली द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस। तहसीलदार देवली उक्तानुसार पालना हेतु निर्णय व अन्तिम छिक्की की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी

देवली

डिक्री मुकदमा इब्नादाई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

शुण अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम
 देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टॉक
 उनवानी दावा :-

उनवानी दावा :

कैलाश बाई पुत्री स्व. हरनाथ पत्नी लादूलाल मीणा नि० देवीखेड़ा हाल नि. ककोड़िया तह० देवली

— वादीया—

बनाम

1. सौराम पुत्र चन्दा मीणा नि० देवीखेड़ा तह० देवली मृतक
 1/1 मोती लाल पुत्र सौराम जाति मीणा नि० देवीखेड़ा
- 1/2 मौसमी पुत्री सौराम जाति मीणा नि० देवीखेड़ा
- 1/3 राजेश पुत्र सौराम जाति मीणा नि० देवीखेड़ा
- 1/4 फोरया पुत्र सौराम जाति मीणा नि० देवीखेड़ा
- 1/5 पषमा पुत्री सौराम जाति मीणा नि० देवीखेड़ा
2. हीरा पत्नी अंबालाल जाति मीणा नि० देवीखेड़ा तह० देवली
3. सरजू पत्नी घीसालाल पुत्री चन्दा मीणा नि० चान्दली तह० देवली
4. तहसीलदार देवली

— प्रतिवादीगण —

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 11 सन् 2005

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री राजेश जैन अधिवक्ता वादीया मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी संवत जमाबंदी सम्वत् 2074-77 वाके ग्राम देईखेड़ा पटवार हल्का राजमहल भू.अभि. नि. क्षेत्र राजमहल के खाता संख्या 46 में दर्ज कुल किता 8 कुल रकबा 2.33 है०, दर्ज राजस्व रिकार्ड है, की आराजी बाबत् दावा अंतिम निर्णय पारित किया जाकर दावा विभाजन आराजियात होने से तहसीलदार देवली की कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/5 तथा 3 ता 4 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के हिस्से की भूमि में उपयोग-उपभोग में मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:

10.1.2005

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान
	कैलाशी पिता हरनाथ मीणा राहिन बी.आर.के.जी.बी शाखा राजमहल सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल बॉल पेन से दर्शित	553	0.05	0.40
		851	0.47	3.76
	योग	किता-2	0.52	04.16
2	राजेश कुमार पुत्र पुष्पा पत्नी शोराम मीणा सा. देह खातेदार फूला देवी पत्नी चरतलाल मीणा सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में सफेद रंग (खाली स्थान से दर्शित) से दर्शित	851	0.35	2.80
		206	0.29	6.38
		236	0.10	2.20
		238	0.21	4.62
		443	0.21	1.68
		506	0.08	0.04
		855	0.35	2.88
		951	0.27	2.16
		553	0.21	1.68
	योग	किता-9	2.07	24.44

संलग्न तहसीलदार देवली द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस।

निजी.....मुवलिक.....बाबत
.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालना
आज की तारीख वसूलियाकि तक की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 02 सन् 2021
को जारी किया गया।

दस्तख्त
.....

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रु.	पै.	मुद्दायलह	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

B.1.24